न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री नखतदान बारहठ, आर.ए.एस.

अपील संख्याः Jodhpur/225RTA/2019/094

1. हंसराज उर्फ हंसराम पुत्र करणाराम विश्नोई
2. रामरतन पुत्र करणाराम विश्नोई
3. ओमाराम पुत्र करणाराम विश्नोई
4. हरीराम पुत्र करणाराम विश्नोई
5. अमरोदेवी पत्नी करणाराम विश्नोई
6. परमेश्वरी पुत्री करणाराम विश्नोई
7. सुमित्रा पुत्री करणाराम विश्नोई
8. सुवा पुत्री करणाराम विश्नोई

निवासीगण विनायकपुरा, तहसील बावडी
जिला जोधपुर

----- अपीलार्थीगण

ब

ना

म

1. चेनाराम पुत्र खानुराम विश्नोई,
निवासी विनायकपुरा, तहसील बावडी
जिला जोधपुर
2. राजस्थान सरकार
जरिये तहसीलदार बावडी
जिला जोधपुर

----- प्रत्यर्थीगण

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध आदेश दिनांक 08 जून 2018 उपखण्ड अधिकारी (शिविर प्रभारी) बावडी, कैम्प विनायकपुरा प्रकरण संख्या 106/2018

----- 0 -----

उपस्थित-

अपीलार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री सुगनमल परिहार
रेस्पो. संख्या एक की ओर से अधिवक्ता श्री पूनाराम विश्नोई

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

रेस्पो. सं. दो की ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री दूदाराम चौधरी

नि र्ण य

दिनांक : 14 अक्तूबर, 2019

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (शिविर प्रभारी) बावडी, कैम्प विनायकपुरा द्वारा प्रकरण संख्या 106/2018 चेनाराम बनाम हंसराज आदि में पारित आदेश दिनांक 08 जून 2018 के खिलाफ अपीलाण्ट्स द्वारा यह अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के तहत अदालत हाजा के समक्ष दिनांक 18 जून 2018 को पेश की गयी है।

संक्षेप में मामले के तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थी-रेस्पो. ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 251(1) के तहत एक प्रार्थनापत्र अपनी खातेदारी के खेत खसरा संख्या 569 रकबा 22 बीघा 15 बिस्वा वाके मौजा विनायकपुरा तहसील बावडी एवं सार्वजनिक रास्ता खसरा संख्या 538 के मध्य आवागमन हेतु अप्रार्थीगण-अपीलाण्ट्स की खातेदारी के खेत खसरा संख्या 570 से होकर (प्रार्थनापत्र के संलग्न नजरी नक्शा में लाल रंग से दर्शाये अनुसार) 30 फीट चौडा बिन्दु अ से ब रास्ता घोषित किये जाने एवं तदनुसार राजस्व नक्शा में तरमीम किये जाने हेतु पेश किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रार्थनापत्र के आधार पर प्रकरण संख्या 106/2018 चेनाराम बनाम हंसराज वगैरा दिनांक 22 मार्च 2018 को संस्थित किया जाकर अप्रार्थीगण-अपीलाण्ट्स को तलब किया गया, दिनांक 06 अप्रेल 2018 को तहसीलदार बावडी से मौका रिपोर्ट भी तलब की गयी, दिनांक 13 अप्रेल 2018 को अप्रार्थीगण-अपीलाण्ट्स की ओर से अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वकालतनामा पेश हुआ, और वास्ते जवाब मिसल आइन्दा 19 अप्रेल 2018 नियत की गयी। इसके बाद

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

सीधे ही पत्रावली में 08 जून 2018 की आदेशिका अंकित है, जिसके अनुसार पत्रावली राजस्व कैम्प विनायकपुरा में पेश हुई, और इसी आदेशिका में अपीलाधीन आदेश पारित करते हुए प्रार्थी-रेस्पो. का प्रार्थनापत्र स्वीकार कर लिया गया। जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट्स-अप्रार्थीगण की ओर से यह अपील पेश की गयी है।

उभयपक्ष के अधिवक्तागण की वहस सुनी गयी। विद्वान अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स ने वहस में तथ्यों एवं अपील मीमों में वर्णित बिन्दुओं को दोहराते हुए जाहिर किया कि उनके द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थनापत्र का जबाब पेश किया गया, मगर अपीलाधीन आदेश में उनके जवाब में उल्लेखित तथ्यो बावत कोई गौर ही नहीं किया गया, अपीलाधीन आदेश तहसीलदार की जिस रिपोर्ट के आधार पर पारित किया गया, वह किन-किन की उपस्थिति में तैयार की गयी, स्पष्ट नहीं है, पत्रावली शिविर में रखे जाने बावत कोई पूर्व सूचना न तो अप्रार्थीगण-अपीलाण्ट को दी गयी और न ही उनके अधिवक्ता को दी गयी, 08 जून 2018 को ही अपीलाण्ट संख्या एक को फोन करके बुलाया गया और एक खाली आज्ञा सूची पर हस्ताक्षर करवाये गये, जो आज्ञा सूची के अवलोकन मात्र से स्पष्ट है। अपीलाधीन आदेश पारित करने में शिविर प्रभारी ने अत्याधिक जल्दबाजी की है। न्यायिक मामलों में अत्याधिक जल्दबाजी अन्याय के समान होती है।

अपनी बहस जारी रखते हुए अपीलाण्ट के अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (शिविर प्रभारी) बावडी कैम्प विनायकपुरा द्वारा एक अन्य प्रकरण संख्या 109/2018 सूरताराम बनाम औमाराम आदि में भी आदेश दिनांक 08 जून 2018 पारित करते हुए अपीलाण्ट्स की खातेदारी की भूमि खसरा संख्या 570 में से 15 फीट चौडा रास्ता आराजी खसरा संख्या 571 व 572 में

राजस्व अपील अधिकारी
जोधपुर

आवागमन हेतु स्वीकृत किया है (जिसके खिलाफ अदालत हाजा में अपील संख्या 095/2018 हंसराज बनाम सुरताराम आदि विचाराधीन है)। इस प्रकार अपीलाण्ट्स की उक्त खसरा संख्या 570 की भूमि खण्ड-खण्ड होती जा रही है, अतः यदि अदालत हाजा की राय में इन रेस्पो. को अपीलाण्ट्स की खातेदारी की भूमि खसरा संख्या 570 में रास्ता दिया जाना नितान्त आवश्यक है तो पृथक-पृथक रास्ते दिये जाने की बजाय 30 फीट चौडाई का एक ही रास्ता दोनों ही प्रकरणों में अपीलाण्ट्स की खातेदारी की भूमि खसरा संख्या 570 में से, प्रकरण संख्या 109/2018 सुरताराम बनाम ओमाराम आदि में पेज संख्या 26 पर अंकित नजरी नक्शा में अंकित बिन्दु ए-बी-सी अनुसार स्वीकृत कर दिया जावे तो भी अपीलाण्ट्स को बिना किसी प्रतिकर राशि लिए भी कोई आपत्ति नहीं है। अंत में विद्वान अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स ने तदनुसार अपील स्वीकार कर अनुतोष प्रदान किये जाने का निवेदन किया।

जवाब में रेस्पो. के विद्वान अधिवक्ता ने अपीलाधीन निर्णय का समर्थन किया और कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश के जरिये वर्तमान में रास्ता निर्धारित किया गया है, वह लघुतम दूरी का रास्ता है और अन्य कोई वैकल्पिक रास्त नहीं है। स्वयं अपीलाण्ट द्वारा भी कोई वैकल्पिक रास्ता होना जाहिर नहीं किया गया हैं। इसके अतिरिक्त खसरा संख्या 569 संयुक्त खातेदारी की भूमि है, जिसका सहखातेदारान ने आपसी सहमति से बंटवारा कर मौके पर अपने-अपने हिस्से अलग-अलग काश्त कर रहे है, रेस्पो.-प्रार्थी चेनाराम, जिसके द्वारा रास्ते की मांग की गयी है, उसका हिस्सा एवं भौतिक कब्जा खसरा संख्या 569 के उत्तरी भाग में है, अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश के जरिये उसी ओर खसरा संख्या 570 में से रास्ता कायम किया गया है, जो न्यायोचित एवं विधिसम्मतः

राजस्व अपील अधिकारी
जोधपुर

है। अतः अपील अपीलाण्ट्स खारिज की जावे और अपीलाधीन आदेश यथावत रखा जावे।

प्रत्युत्तर में अपीलाण्ट्स के विद्वान अधिवक्ता ने कथन किया कि खसरा संख्या 569 के बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन हो जाने बाबत कोई प्रमाण पत्रावली पर प्रस्तुत नहीं है, ऐसी स्थिति में उक्त खसरा संख्या 569 की भूमि प्रस्तुत राजस्व अभिलेख के अनुसार संयुक्त खातेदारी की अविभाजित भूमि है और सहखातेदारी की भूमि के प्रत्येक इंच भूभाग पर प्रत्येक सहखातेदार का कानूनन कब्जा माना जाता है। अतः खसरा संख्या 569 के किस तरफ रास्ता दिया जाता है, यह बिन्दु गौण है।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के आधार पर न्यायाचित निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया गया। जिससे यह पाया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में दिनांक 13 अप्रेल 2018 की आदेशिका में आगामी पेशी 19 अप्रेल 2018 निर्धारित किये जाने के बावजूद भी निर्धारित दिनांक को कोई आदेशिका नहीं लिखे जाने और फिर सीधे ही दिनांक 08 जून 2018 को आदेशिका लिखते हुए प्रकरण शिविर में रखा जाकर अपीलाधीन निर्णय पारित किये जाने का कोई औचित्य अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में नहीं पाया जाता है। इसी प्रकार प्रकरण शिविर में रखे जाने की पूर्व सूचना अपीलाण्ट्स को दिया जाना भी अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली से प्रकट नहीं होता है। मगर इस संबंध में अपीलाण्ट संख्या एक को टेलिफोन किया जाना और आदेशिका पर हस्ताक्षर करवाया जाना स्वयं

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अपीलाण्ट पक्ष द्वारा स्वीकृत तथ्य है, एक अपीलाण्ट की जानकारी सभी अपीलाण्ट की जानकारी होना विधि का सर्वमान्य सिद्धान्त है।

जहॉ तक रास्ता दिये जाने का प्रश्न है, धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में स्पष्ट प्रावधान है कि अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में ही नया रास्ता उपलब्ध कराया जायेगा। **आलौच्य मामले में आराजी खसरा संख्या 570 में से ही खसरा संख्या 571 व 572 तक आवागमन हेतु रास्ते की मांग करते हुए अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थनापत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण संख्या 109/2018 सुरताराम बनाम ओमाराम व अन्य संस्थित किया जाकर दिनांक 08 जून 2018 को ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निस्तारित करते हुए इसी वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 570 में से उक्त प्रकरण की पत्रावली में पेज 26 पर उपलब्ध नजरी नक्शा में लाल रंग से दर्शाये अनुसार बिन्दु डी से बिन्दु ई तक 15 फीट चौडा रास्ता उपलब्ध कराया गया है।** उक्त नजरी नक्शा के अवलोकन मात्र से विदित होता है कि विन्दु डी से ई तक जो रेखा बनती है, इसके समानान्तर उत्तर में जो रेखा विन्दु ए-बी-सी अंकित है, उसका विन्दु बी आलौच्य प्रकरण में प्रार्थी-रेस्पो. की खातेदारी की भूमि खसरा संख्या 569 की सीमा रेखा पर है, यही सीमा-रेखा उक्त डी-ई रेखा के काल्पनिक विन्दु जी तक आकर विन्दु ई की ओर मुड जाती है। **इस प्रकार जाहिर है कि खसरा संख्या 538 (करवड से भवाद मार्ग) से प्रार्थी-रेस्पो. की खातेदारी की भूमि खसरा संख्या 569 तक आवागमन हेतु अपीलाण्ट की खातेदारी की भूमि खसरा संख्या 570 से दिये गये 15 फीट चौडे रास्ते बिन्दु डी से ई का प्रयोग किया जा सकता है।** ऐसी स्थिति में प्रार्थी-रेस्पो. को अन्य कोई अलग से नया रांस्ता दिये जाने की आवश्यकता नहीं रहती है।

संभागीय राजस्व अपील अधिकारी
जोधपुर

प्रस्तावित रास्ता उत्तर से ही दिया जाना आवश्यक है अथवा नहीं, इस संबंध में अदालत हाजा विद्वान अधिवक्ता-अपीलाण्ट के इस तर्क से सहमत है कि खसरा संख्या 569 के बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन हो जाने बावत कोई प्रमाण पत्रावली पर प्रस्तुत नहीं है, ऐसी स्थिति में उक्त खसरा संख्या 569 की भूमि प्रस्तुत राजस्व अभिलेख के अनुसार संयुक्त खातेदारी की अविभाजित भूमि है और सहखातेदारी की भूमि के प्रत्येक इंच भूभाग पर प्रत्येक सहखातेदार का कानूनन कब्जा माना जाता है। अतः खसरा संख्या 569 के किस तरफ रास्ता दिया जाता है, यह बिन्दु गौण है। सुविधा को मद्देनजर और चयनित रास्ता कानूनन नहीं दिया जा सकता।

अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाती है और अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 8 जून 2018 अपास्त किया जाता है। प्रार्थी-रेस्पो. अपनी खातेदारी भूमि खसरा संख्या 569 तक आवागमन हेतु अपीलाण्ट की खातेदारी के खसरा संख्या 570 में से खसरा संख्या 571 व 572 तक आवागमन हेतु दिये गये रास्ते का उपयोग करे। अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण संख्या 109/2018 सुरताराम बनाम ओमाराम की पत्रावली में पेज 26 पर उपलब्ध नजरी नक्शा बतौर प्रदर्श ए इस निर्णय के साथ रखा जावें।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

14/X/19

राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

(26)

(7) नजरी नक्शा निम्नानुसार है।

राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार-2018

"प्रदर्श- ए"

न्यायालय RAA जोधपुर
(i) अपील सं०- 95/2018
(ii) अपील सं. 94/2018

अनवान
(i) हंसराज V/s सुरताराम
(ii) हंसराज V/s चेनाराम

निर्णय दिनांक 14.10.19

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

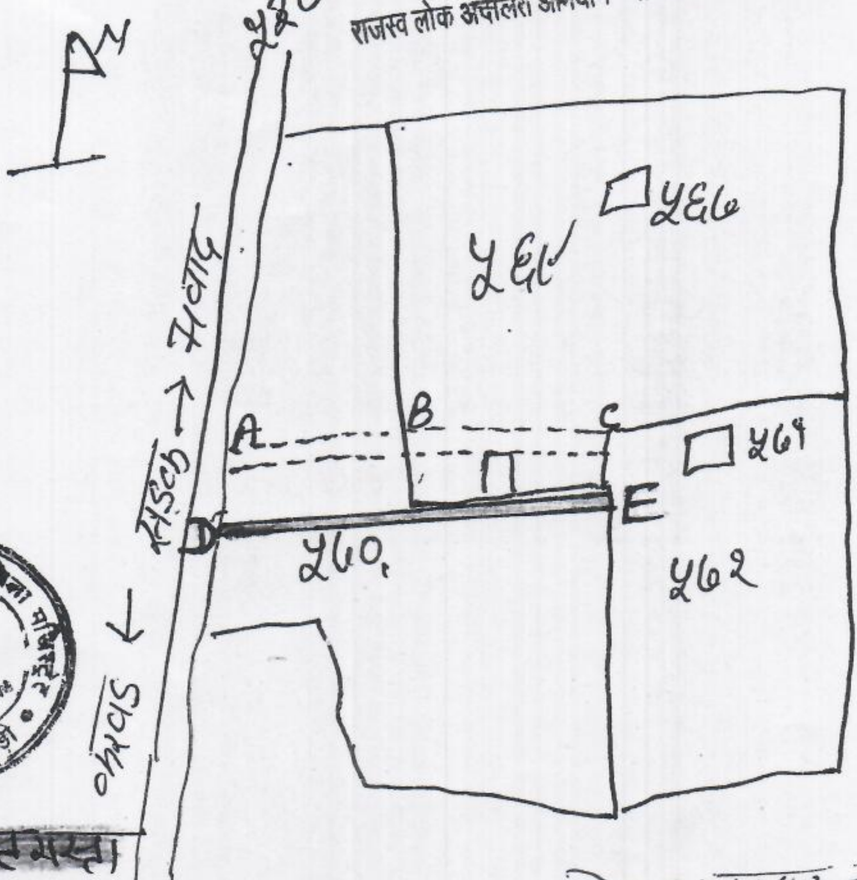

प्रस्तावित रास्ता
मार्क D से E
15 फीट चौड़ा

मुकदमा नम्बर 109/2018
निर्णय दिनांक 08/6/2018 में
प्रस्तावित रास्ता की
मौका रिपोर्ट निर्णय का
[redacted] रहेगी।

नक्शा लट्ठा के अनुसार दूरी फीट में

रास्ते की		रकबा
A से B -	211 फीट -	4 बिस्वांसी
B से C -	343 फीट -	5 बिस्वांसी

कुल

शिविर प्रभारी अधिकारी
रा.लो.अ.अभि. न्याय आपके द्वार-2018
एवं उपखण्ड अधिकारी बावड़ी

भू.अभि. भवाद
11/5/18

पटवारी भवाद
तह - बावड़ी